कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ0ग0)

|| आदेश ||

क्रमांक 79/दो–11–1/2013(ए)(3) **बालोद, दिनांक 02/03/2024**

सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदस्थ कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप अनारक्षित मुक्त वर्ग के 01 रिक्त पद पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची में से वर्गवार एवं वरीयता अनुसार जिला न्यायालय, स्थापना बालोद के लिए सहायक ग्रेड–3 (वेतनमान 19500–62000, लेवल–4) के रिक्त पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	नाम	पिता का नाम	पद का नाम	नियुक्ति का वर्ग	अभ्यर्थी का वर्ग	पता
1	**प्रियंका**	श्री राजाराम देवांगन	सहायक ग्रेड–3	अनारक्षित (मुक्त)	अ.पि.व.	ग्राम व पोष्ट–लोहरसी, आजाद चौक, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) पिन–493773

छ.ग..सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अधीन नियुक्ति की शर्तें :–

1. सामान्य प्रवर्ग के चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार इनके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति, सेवा पुस्तिका (दो प्रति में) एवं जीपीएफ पासबुक कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आयेंगे।
2. आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र, यदि पूर्व से सत्यापित न हो तो उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति के समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर ही मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे।
4. चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
5. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।
7. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
8. चयनित अभ्यर्थी को **दिनांक 18.03.2024** तक अनिवार्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित समयावधि तक जिला मुख्यालय में विभिन्न अनुभागों एवं न्यायालयों में

लिपिकीय कार्यों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात सिविल जिला बालोद के जिला मुख्यालय अथवा बाह्य न्यायालयों में कहीं भी पदस्थापना की जावेगी। तब ऐसे पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा स्थानांतरण के पश्चात नवीन पदस्थापना स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जावेगा तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

9. उक्त कर्मचारी की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में होगी।
10. यह नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012,594/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत SLP(c) क. 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

पृ.क. 188 /दो–11–1/2013(ए)(3) बालोद, दिनांक 04 /03/2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके ज्ञापन क. 6049/डी.ई./तीन–18–27/2023 बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 में दिये गये निर्देशों के पालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी कार्यालय अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित होने पर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर उनकी सेवा पुस्तिका का संधारण करावें।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोद की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उनके बैठने हेतु आवश्यक व्यवस्था करावें।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बालोद
5. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद
6. प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोद

की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थी से कार्य पर उपस्थित होने पर आवश्यक दस्तावेजों का मिलानकर सेवा अभिलेख में लेवें एवं वेतन आहरण हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करावें।

8. **प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।**
9. **प्रियंका पिता** श्री राजाराम देवांगन, पता ग्राम व पोष्ट–लोहरसी, आजाद चौक, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) पिन–493773 की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि वे अपने चयनित पद का **दिनांक 18.03.2024 तक** आवश्यक रूप से समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों व दस्तावेजों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करायें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

A Karyabhar III IV Grade\Vividh Order 16.Doc